मध्ययप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग **दिनांक: 24-02-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.1770) दि. 24-02-2016 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले में खरीफ, रबी एवं जायत में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक धान एवं अन्य बीज का अनुदान की राशि नियमानुसार किसानों के बैंक खातों में जमा नहीं कराये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
2	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.503) दि. 24-02-2016 (श्री भारत सिंह कुशवाह)	द ग्वालियर शुगर कंपनी प्रा.लि.डबरा, जिला ग्वालियर पर गन्ना उत्पादक किसानें की बकाया राशि का भुगतान कंपनी की भूमि विक्रय कर किया जाना एवं षडयंत्र करके कंपनी की भूमि के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच तथा दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	शिकायत की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर जिला ग्वालियर को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा जांच प्रतिवेदन के गुणदोष के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
3	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.84 (प्रश्न क्रं.1341) दि. 24-02-2016 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले में वर्ष 2009-10 से 2012-13 में राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बरूआ नाला बड़वारा जलग्रहण क्षेत्र को आवंटित राशि की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
4	अतारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.296) दि. 24-02-2016 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले में विभाग को हितग्राही मूलक कार्यो का भौतिक सत्यापन समय-सीमा में कराया जाना।	हितग्राही मूलक कार्यों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.1122) दि. 24-02-2016 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं हितग्राही मूलक योजनाओं में अनियमितता किये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	शिकायत तत्कालीन परियोजना संचालक श्री आर.एस. गुप्ता के संबंध में है जिसकी प्रारंभिक जांच संयुक्त संचालक उज्जैन को सौपी गई है।		
6	अतारांकित प्रश्न सं.86 (प्रश्न क्रं.1344) दि. 24-02-2016 (श्री संजय पाठक)	ता.प्र.क्र.177, दिनांक 07.12.2015 के संदर्भ में संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
7	अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.1746) दि. 24-02-2016 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	देवास जिले की सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2015 फसल नुकसानी के दावा राशि की गणना का कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर पीड़ित किसानों को मुआवजा वितरण किया जाना।	खरीफ 2015 की दावा राशि का गणना कार्य प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग **दिनांक: 24-02-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
8	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्र.1163) दि. 24-02-2016 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना जिले में स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार प्रसार सामग्री के मुद्रण में की गई वित्तीय अनियमितता एवं म.प्र.भण्डार क्रय नियम का उल्लघंन करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) प्रकरण परीक्षणाधीन है। (2) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।		
9	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्र.187) दि. 24-02-2016 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा मद अंतर्गत कराये गये घटिया एवं अपूर्ण निर्माण कार्य की प्राप्त शिकायत की जांच एवं अपूर्ण कार्य को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना ।	दो अपूर्ण कार्यों में जांच प्रचलित है। इन अपूर्ण कार्यों को मनरेगा के जाब कार्ड धारी श्रमिकों की उपलब्धता उपरांत पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है।		
10	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.27 (प्रश्न क्र.438) दि. 24-02-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	श्री रमाकांत उपाध्याय तत्कालीन पंचायत समन्वयक जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड के विकलांग प्रमाण पत्र की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी।		
11	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.28 (प्रश्न क्र.439) दि. 24-02-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की लहार विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के पैकेज क्र. 203 में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा अनुबंध के अनुरूप नहीं किये जाने की विस्तृत जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल चंबल से कार्यो का परीक्षण कराया जायेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्रं.774) दि. 24-02-2016 (श्रीमती संगीता चारेल)	रतलाम जिले के विकासखण्ड बाजना की ग्राम पंचायत करबलखेरा द्वारा निर्मल भारत अभियान अंतर्गत निर्माण एजेंसी द्वारा शौचालयों का निर्माण न कर राशि आहरित करने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु लेख किया गया है। वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है।		
13	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.1233) दि. 24-02-2016 (श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक)	दमोह जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज क्र. 1119 सड़कों के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में कराई जाना।	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित।		
14	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.106 (प्रश्न क्रं.1652) दि. 24-02-2016 (श्री आरिफ अकील)	श्री दीपक काटेकर तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हरदा के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित होने के बावजूद नियम विरूद्ध पदोन्नति की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण परीक्षणाधीन है।		
15	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.124 (प्रश्न क्रं.1912) दि. 24-02-2016 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र पाटन अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में पंचायतों में निर्माण कार्यो हेतु राशि आहरित कर निर्माण कार्य पूर्ण न कर राशि का दुरूपयोग करने की जांच में संज्ञान में आये 64 प्रकरणों में राशि की वसूली की जाना।	आर.आर.सी. जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है।		
16	अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.398) दि. 24-02-2016 (श्री वीरसिंह पंवार)	रायसेन जिले की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है एवं रोजगार सहायकों के रिक्त पदों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही जनपद पंचायतों द्वारा की जा रही है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	अतारांकित प्रश्न सं.87 (प्रश्न क्रं.1359) दि. 24-02-2016 (श्रीमती ललिता यादव)	जनपद पंचायत छतरपुर में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक हितग्राहियों को इंदिरा आवास हेतु द्वितीय किश्त जारी किया जाना।	आवास सॉफ्ट में फोटो अपलोड करने एवं द्वितीय किश्त जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
18	अतारांकित प्रश्न सं.97 (प्रश्न क्रं.1443) दि. 24-02-2016 (श्री महेन्द्र केशर सिंह चौहान)	जिला बैतूल में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत वर्ष 2013 एवं 2014 में निर्माण कार्यो में मूल्यांकन से अधिक राशि व्यय के प्रकरणों में राशि वसूली की कार्यवाही की जाना।	जी हाँ। राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।		
19	अतारांकित प्रश्न सं.113 (प्रश्न क्रं.1697) दि. 24-02-2016 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में स्वीकृत इंदिरा आवासों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त जारी की जाना।	द्वितीय किश्त जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
20	अतारांकित प्रश्न सं.117 (प्रश्न क्रं.1727) दि. 24-02-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले की महिदपुर वि.स.क्षेत्र में स्मार्ट विलेज के लिए चयनित ग्रामों के स्वीकृत कार्यो को समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	उपरोक्त कार्यों को मार्च 2016 अंत तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।		
21	अतारांकित प्रश्न सं.123 (प्रश्न क्रं.1887) दि. 24-02-2016 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	विकासखण्ड नलखेड़ा से ग्राम गुराड़िया देव को ग्राम रीछी से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य समय-सीमा में कराया जाना।	आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
22	अतारांकित प्रश्न सं.140 (प्रश्न क्रं.2080) दि. 24-02-2016 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत करेरा द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्य के नियमानुसार प्रस्तावित कार्यो को अमान्य किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही हेतु संचालनालय के पत्र क्र. 1537 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निर्देशित किया गया है।		

मध्ययप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग **दिनांक: 24-02-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्र.256) दि. 24-02-2016 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले के ग्राम जाख्दा जागीर में स्थित शासकीय भूमि में अवैध प्रविष्टि दर्ज कर बाहरी व्यक्ति को पट्टा दिये जाने, अतिक्रमण की जांच कराने एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	अवैध प्रविष्टि दर्ज करने वाले तत्कालीन पटवारी श्री नरेन्द्र गौड, श्री कृष्णकांत रावत, श्री रामलखन शर्मा एवं वर्तमान पटवारी श्री चन्द्रकांत वर्मा को निलंबित किया जाकर इनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। तत्कालीन जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर श्री राकेश चौरसिया एवं श्री सुरेशपाल सिंह सगर, भृत्य के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।		
24	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्र.403) दि. 24-02-2016 (श्री संजय शर्मा)	प्रदेश में सर्पदंश एवं डूबने से मृत्यु होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) में संशोधन कर छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के समान 04 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की जाना।	(1) परीक्षणाधीन है। (2) कार्यवाही प्रचलित है।		
25	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.104 (प्रश्न क्र.1611) दि. 24-02-2016 (कुँवर विक्रम सिंह)	छतरपुर जिले के लवकुशनगर तहसील में वर्ष 2015-16 में सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा राहत राशि वितरण में की गई अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	23 आवेदन पत्र विस्तृत जांच हेतु लंबित है।		
26	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.112 (प्रश्न क्र.1722) दि. 24-02-2016 (श्री बाला बच्चन)	बड़वानी जिले में कॉलोनाईजर द्वारा विलेखों के पंजीकृत कराने का शुल्क जमा नहीं कराने पर प्रकरण दर्ज कर मुद्रांक संग्राहक को भेज कर कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.121 (प्रश्न क्रं.1908) दि. 24-02-2016 (श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल)	बड़वानी जिले की तहसील पान सेमल को अल्पवर्षा के आधार पर मापदण्डों में पात्र पाये जाने पर शीघ्र सूखाग्रस्त घोषित किया जाना।	(1) सूखा घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) कार्यवाही प्रचलित है।		
28	अतारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.96) दि. 24-02-2016 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	(1) रतलाम जिले में खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित किया जाना। (2) अशोक नगर जिले में खेल मैदान के लिए चिन्हांकित भूमि को आरक्षित किया जाना।	(1) रतलाम शेष ग्रामों में भूमि चयन कर आरक्षित करने के निर्देश दिये गये हैं। (2) अशोकनगर-चिन्हांकित की गई भूमि तहसीलदारों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आरक्षित की जावेगी।		
29	अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.125) दि. 24-02-2016 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	डिण्डौरी जिले में संहिता के प्रावधान एवं शासन मापदण्ड अनुसार पाये गये 03 मजरा टोला, पिपरहाटोला, डोगरीटोला एवं अमीनपुर को राजस्व ग्राम घोषित कर उनके अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराया जाना।	अधिकार अभिलेख बनाये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।		
30	अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.262) दि. 24-02-2016 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर, वीरपुर एवं कराहल के लंबित नामांतरण के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।	निर्धारित की गई समय-सीमा के अन्दर कर दिया जावेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग **दिनांक: 24-02-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.1487) दि. 24-02-2016 (श्रीमती शीला त्यागी)	(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा के अधीन सेवा सहकारी समितियों द्वारा अंशपूंजी के अनुपात से अधिक नियम विरूद्ध ऋण वितरण की विस्तृत जांच करायी जाना एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। (2) कृषकों के हिस्से की राशि का उपयोग समिति प्रबंधक द्वारा किये जाने की जांच।	(1) विस्तृत जांच करायी जा रही है. जांच के उपरांत उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी. (2) इसकी भी विस्तृत जांच कराई जा रही है, जांच में कोई तथ्य पाये जायेंगे तो नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी.		
32	तारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.1721) दि. 24-02-2016 (श्री बाला बच्चन)	(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगौन में अनियमित नियुक्तियों के संबंध में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। (2) अवंति सूत मिल सनावद के संबंध में की गई जांच के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) 01 सप्ताह में कार्यवाही की जावेगी उप आयुक्त सहकारिता खरगौन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। (2) (i)जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अवंति सूत मिल सनावद के प्रशासक को निर्देश दिये गये है. प्रशासक द्वारा एफआईआर दर्ज करने हेतु थाना सनावद में दिनांक 18.01.2016 को आवेदन दिया गया है. (ii) कार्यवाही किये जाने के संबंध में संयुक्त आयुक्त इंदौर को निर्देश दिये गये है. (iii) कार्यवाही की जा रही है.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.58 (प्रश्न क्रं.923) दि. 24-02-2016 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	ग्राम जडेरूआ जिला मुरैना के तिलहन संघ प्लांट के बंद होने पर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के प्रावधान अनुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	परिसमापक द्वारा धारा 71 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
34	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.1097) दि. 24-02-2016 (श्री विश्वास सारंग)	रायसेन जिले की सेवा सहकारी संस्थाओं का आडिट नहीं कराये जाने पर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाना।	(1) 33 संस्थाओं को अनिधनियम की धारा 56(3) के तहत नोटिस जारी किये गये है। (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन।		
35	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.113 (प्रश्न क्रं.1725) दि. 24-02-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	बैजनाथ सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन में वर्ष 2004-05 से 2014-15 तक 10 वर्षो में की गई जांच के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर समय-सीमा में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	परीक्षण कर जांच कार्य किया जा रहा है।		
36	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.133 (प्रश्न क्रं.2040) दि. 24-02-2016 (श्री आर.डी. प्रजापति)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर की शाखा घुआरा की 07 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीफ 2014 के 3631 किसानों की बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को नहीं भेजने से किसानों को फसल के हुए नुकसान का लाभ नहीं दिये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों से राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी. (2) प्रश्नांश की जांच आदेशित की गई है. शेष जांच निष्कर्षाधीन.		
37	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.138 (प्रश्न क्रं.2126) दि. 24-02-2016 (कुँवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले के बहोरीबंद के विकासखण्ड रीठी की समिति बड़गांव एवं रैपुरा में कृषकों को फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु बैंक को निर्देश दिये गये है.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.790) दि. 24-02-2016 (श्री सचिन यादव)	वर्ष 2015 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगौन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने में की गई अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) जी हां । जांच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (2) अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग **दिनांक: 24-02-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.126 (प्रश्न क्रं.1963) दि. 24-02-2016 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	जिला रीवा में नि:शक्त विद्यार्थियों को शासन की योजनानुसार लेपटाप के स्थान पर टेबलेट वितरित किये जाने की प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई जांच में दोषियों के विरूद्ध समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	विभागीय जाँच संस्थित की गई।		